

(E)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

दावा वाद संख्या - 51/2019

नन्दकिशोर पुत्र श्री घासीलाल जाति जोशी आयु 65 वर्ष निवासी बहनोली तहसील बौली

वादी.....

बनाम

राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

उपस्थित :- श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती

दिनांक 18.8.22


आदेश

वादी की ओर से यह वादपत्र इस आशय का दायर किया है कि ग्राम बहनोली की खसरा नम्बर 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1210 कुल कित्ता 6 की कुल रकबा 1.7000 है। भूमि हरिनारायण, किशनलाल वादी नन्द लाल पिता घासी की खातेदारी दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम नन्दकिशोर है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नन्दकिशोर की जगह नन्दलाल दर्ज हो रहा है। जो गलत है। अतः नन्दलाल की जगह नन्दकिशोर किया जावे।

वादी की ओर से उक्त प्रकरण में साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, की छायाप्रति पेश की है।

वादी के अधिवक्ता को सुना गया। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी अपना नाम नन्दलाल की जगह नन्दकिशोर करवाना चाहता है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में नन्दकिशोर दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नन्दलाल दर्ज है। अतः दुरस्त किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम बहनोली की जमाबंदी संवत् 2069 - 2072 खाता सं० 349 के की खसरा नम्बर 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1210 कुल कित्ता 6 की कुल रकबा 1.7000 है। में प्रार्थी का नाम नन्दलाल


उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

